झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–83 वर्ष 2020

विमल मुंडल उर्फ विमल डंगल संध द्वारा पिता–मंगल डंगल संध उर्फ
नामजन लोहरा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विरोधी पक्ष।

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री गौरव, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– श्री शेखर सिन्हा, ए0पी0पी0।

3 / 05.03.2020 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान विशेष पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता एक किशोर है, जो खूंटी थाना काण्ड संख्या 58 / 2019 [जी0आर0 संख्या 302 / 2019 (एस)] के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 / 34 के तहत दण्डनीय अपराध करने के लिए हिरासत में है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि मुख्य अभियुक्त को बी0ए0 8642 / 2019 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है। उन्होनें कहा कि याचिकाकर्त्ता का नाम इकबालिया बयान में आया है, जो केस डायरी के पैरा 65 से स्पष्ट है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक हूँ। सत्र न्यायाधीश, खूंटी द्वारा आपराधिक अपील सं0–14/2019 में पारित 19.12.2019 के आदेश को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्त्ता, अर्थात विमल मुंडा उर्फ विमल डंगल संध को खूंटी थाना काण्ड संख्या 58/2019, जी0आर0 संख्या 302/2019 (एस) के अनुरूप के संबंध में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, खूंटी की संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– (दस हजार रूपये) के जमानत बांड पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन है कि जमानतदारों में से एक याचिकाकर्त्ता का पिता होना चाहिए, जो इस आशय का वचन देगा कि वह याचिकाकर्त्ता का उचित पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करेगा और याचिकाकर्त्ता को प्रोबेशन अधिकारी और बोर्ड के समक्ष पेश करेगा जब उसे बुलाया जाएगा। यदि सामाजिक जांच रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी पाई जाती है, तो बोर्ड न्याय के हित में आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

यह पुनरीक्षण आवेदन, तद्नुसार, अनुज्ञात किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)